परियोजना का नाम	:–	जनपद देहरादून से सहसपुर विकास खण्ड़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गांव से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजागार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक–1370/एम0–09 (II)/यू0आर0आर0डी0ए0/09 दिनांक 15 अक्टूबर 2009 के द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज–X के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है तथा ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश सं0–781/पी1–32, दिनांक 09 मई 2017 द्वारा मार्ग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट भितरली (CC 500200, H18, Pop-476) की आबादी अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विविभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोज़गार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि 4.824 है0, सिविल सोयम भूमि 1.183 है0 एवं वन पंचायत भूमि को वन भूमि 0.000 है0 एवं आरक्षित वनभूमि 2.345 है0, प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

संरेखण नं0–1 :– के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद देहरादून में विकासखण्ड़ सहसपुर के अन्तर्गत यह मार्ग पूर्व निर्मित मालसी–पुरूकुल मोटर मार्ग के कि0मी0 6.00 से प्रारम्भ होता है तथा ल0 10.400 कि0मी0 है, इस संरेखण में 5 हेयर पिन बैण्ड प्रस्तावित है। इस संरेखण में 2 आरसी0सी0 ब्रिज 12 मी0 के पड़ती है। इस संरेखण में आरक्षित भूमि के अतिरिक्त बीच–बीच में सिविल एवं नाप भूमि आती है इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष प्रभावित कम होते है तकनिकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आबादी लाभान्वित होती है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी एंव जनप्रतिनिधि सहमत है।

संरेखण नं0 2 :– के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद देहरादून में विकासखण्ड़ रायपुर के अन्तर्गत यह मार्ग पूर्व निर्मित मालसी–पुरूकुल मोटर मार्ग के कि0मी0 5.00 से प्रारम्भ होता है तथा ल0 11.400 कि0मी0 है तथा 18.00 मी0 की 3 नं0 मेजर कल्वर्ट भी आती है। इस समरेखण से स्थानीय जनता असहमत है, चूंकि समरेखण की ल0 अधिक है, इस समरेखण में वन भूमि, नाप भूमि, सिविल भूमि की भी अधिकता है जिस कारण भी स्थानीय जनता असहमत है। अतः तकनिकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसर सही ग्रेड नहीं मिलता है इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं0 2 को निरस्त कर संरेखण नं0 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं0 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 10.400 कि0मी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई तथा ल0 5040 में आने वाली सिविल सोयम एवं आरक्षित वन भूमि 3.528 है0 कुल 3.528 प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतुवन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी